उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/850 /   जबलपुर, दिनांक 02/02/2022
चार–12–14/10

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
4. सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा)/प्रशासनिक अधिकारी(बजट)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित) पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 4865/21–ब(एक)/2021 भोपाल दिनांक 30.12.2021 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोटः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

2.2.2022

रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 4865/21-ब(एक)/2021 भोपाल, दिनांक 30.12.2021

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :- उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की फरवरी-2021 से जून-2021 तक की अवधि में स्वीकृत काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि वास्तविक वित्तीय लाभ (एरियर्स) प्रदान करने बावत्।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्रमांक डी/6568/चार/12-14/10 दिनांक 23.12.2021

--0--

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से चाहे गए मार्गदर्शन के अनुक्रम में लेख है कि विभाग का आदेश क्रमांक 4167/21-ब(एक) दिनांक 15.11.2021 पूर्व के विभागीय आदेश क्रमांक 2120/21-ब(एक)/2020 भोपाल, दिनांक 31.07.2020 के फलस्वरूप जारी किया गया था जिसमें वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होने तथा स्थितियां सामान्य होने पर उसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में था, सातवे वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतनवृद्धि तिथि क्रमशः 1 जनवरी व 1 जुलाई होती है इसलिए उक्त एरियर्स का लाभ उपरोक्त तिथि से दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में छट्वे वेतनमान का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसमें वेतनवृद्धि की तिथि उनकी ज्वाईनिंग के आधार पर निर्धारित होती है इसलिए उन्हें वेतनवृद्धि/एरियर्स का भुगतान पूर्व की भांति ही प्राप्त होगा जिस प्रकार वेतनवृद्धि रोके जाने के पूर्व प्राप्त होता।

अतः तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।

(प्रमुख सचिव, विधि द्वारा अनुमोदित।)

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
04 JAN 2022
Reg No. 03
Receipt Clerk